


पञ्चावली पेश हुई, तहसीलदार आसिया की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 एलआर एक्ट 1956 में प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि जमाबंदी संग्रामाशन कार्य में जमाबंदी में दर्ज खसरे का नक्शे में वन दू वन संपिग किया जा रहा है जिसमें ज्ञात आर. प्राम. खसरी  खसरा नं. 183/..... जमाबंदी में रकबा एक साथ जुमला दर्ज है जबकि मौके पर एक से अधिक टुकड़े हैं जिनको एक किया जाना संभव नहीं है। खातेदारी भूमि एवं नाम में कोई परिवर्तन नहीं है केवल रेकॉर्ड दृकस्ती के लिए नक्शे में अंकन किया जाना है। उपलब्ध रिपोर्ट जमाबंदी एवं संग्रामाशन हेतु प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। "परिशिष्ट 01" को निर्णय का भाग घोषित किया जाकर राजस्व रेकॉर्ड में अंकन की स्वीकृति दी जाती है।

उप खसरे अधिकारी
 एवं
 सहायक कलेक्टर व
 कार्यालयक मॉडरेट, आसिया